

दिनांक 06 मार्च 2020, यात्रा परामर्श

दिनांक 6 मार्च, 2020

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार

कोविड-19 के लिए समेकित यात्रा परामर्श

समस्त विश्व में जारी कोविड महामारी के प्रकोप और भारत में कोविड-19 की विकसित स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने समय-समय पर यात्रा परामर्श जारी किये हैं। समेकित यात्रा परामर्श का निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:

भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे चीन, ईरान, कोरिया गणराज्य, इटली की यात्रा करने से बचें और उन्हें यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे कोविड-19 से प्रभावित देशों की अनावश्यक यात्रा करने से परहेज करें।

1. इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, जापान के नागरिकों को दिनांक 03 मार्च, 2020 अथवा उसके बाद जारी किए गए सभी नियमित (स्टीकर) वीजा/ई-वीजा (जापान और दक्षिण कोरिया के लिए वीओए सहित) और जिन्होंने अभी तक भारत में प्रवेश नहीं किया है, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जो लोग किन्हीं बाध्यकारी परिस्थितियों के कारण भारत आना चाहते हैं, वे नजदीकी भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास से ताजा वीजा ले सकते हैं।
2. चीन गणराज्य के नागरिकों को दिनांक 05 फरवरी, 2020 अथवा उससे पहले दिए गए नियमित (स्टीकर) वीजा/ई-वीजा को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। यह लागू रहेगा। जो लोग किन्हीं बाध्यकारी परिस्थितियों के कारण भारत आना चाहते हैं, वे नजदीकी भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास से ताजा वीजा ले सकते हैं।
3. चीन, ईरान, इटली, दक्षिण कोरिया और जापान की दिनांक 01 फरवरी, 2020 अथवा उसके बाद यात्रा करने वाले सभी विदेशी नागरिक जिन्हें सभी नियमित (स्टीकर) वीजा/ई-वीजा दिए गए हैं और जिन्होंने अभी तक भारत में प्रवेश नहीं किया है उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जो लोग किन्हीं बाध्यकारी परिस्थितियों के कारण भारत आना चाहते हैं, वे नजदीकी भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास से ताजा वीजा ले सकते हैं।

कोविड-19 के लिए नकारात्मक परीक्षण प्रमाणन की अनिवार्यता

4. वीजा प्रतिबंधित के अलावा, इटली या कोरिया गणराज्य से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत में प्रवेश करने के इच्छुक यात्रियों (विदेशी और भारतीय) को भारतीय

स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा अधिकृत नामित प्रयोगशालाओं से कोविड-19 के लिए नकारात्मक परीक्षण प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता होगी।

सार्वभौमिक परीक्षण (यूनिवर्सल स्क्रीनिंग) और स्व-घोषणा

5. भारत में प्रवेश करने वाले सभी अंतराष्ट्रीय यात्रियों को स्वास्थ्य अधिकारियों और आव्रजन अधिकारियों को विधिवत स्व-घोषणा (व्यक्तिगत विवरणों सहित फोन नंबर और भारत में पता) प्रस्तुत करना आवश्यक है और सभी बिंदुओं पर निर्दिष्ट स्वास्थ्य कॉउंटरों पर सार्वभौमिक स्वास्थ्य परीक्षण (यूनिवर्सल हेल्थ स्क्रीनिंग) से गुजरना होगा।

छुट/सहूलियत

6. राजनियक, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतराष्ट्रीय निकायों के अधिकारी, ओसीआई कार्डधारक और उपरोक्त देशों के एयरक्रूज को प्रवेश पर इस तरह के प्रतिबंध से छुट दी गयी है।

स्वास्थ्य उपायों का पालन हर समय किया जाना चाहिए:

- कोविड-19 प्रभावित देशों (कोरोनावायरस रोग/कोविड-19) साप्ताहिक महामारी विज्ञान और परिचालन संबंधी अद्यतन जानकारी के लिए <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports> पर जाए) की यात्रा करते समय और विदेश में निम्नलिखित सरल उपायों का पालन हर समय किया जाना चाहिए।
  - अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करें।
  - अपने स्वास्थ्य की निगरानी करें।
  - अपने हाथ अक्सर साबुन और पानी से धोए या हाथों को साफ़ करने के लिए अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें।
  - श्वसन शिष्टाचार का पालन करें- खांसते समय अपने मुंह और नाक को टिश्यू या रुमाल से ढकें।
  - अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें।
  - ऐसे लोगों के साथ निकट संपर्क से बचें जो अस्वस्थ हैं या जिनमें बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं, जैसे कि खांसी, सांस लेने में कठिनाई आदि।
  - खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण होने पर मास्क पहनें।
  - खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर तुरंत स्थानीय चिकित्सक से संपर्क करें।
- भारत लौटते समय, यदि कोई यात्री अपनी यात्रा के दौरान बीमार महसूस करता है:
- एयरलाइन क्रू को रोग के बारे में सूचित करें।
  - एयरलाइन क्रू से मास्क मांगें।
  - विमान चालक दल के निर्देशों का पालन करें।
  - विमान से उतरने के बाद हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी के दिशा-निर्देशों का पालन करें।

- यदि कोई यात्री वापसी के अट्हाईस दिनों के भीतर बीमार (खांसी/बुखार या सांस लेने में कठिनाई महसूस करता है और वह कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों से, तो:
- हेल्पलाइन नंबर (011-23978046) पर तुरंत कॉल करें, अपने यात्रा के इतिहास के बारे में सूचित करें और दिए गए निर्देशों का पालन करें।
- घर पर खुद को अलग रखें और ऐसे समय तक मास्क पहने जब तक कि स्वास्थ्य अधिकारी से चिकित्सक द्वारा जांच न करवा लें।
- स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशों का पालन करें।

स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए लोग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से संपर्क कर सकते हैं या 24x7 हेल्पलाइन नंबर (91-11-23978046) पर ईमेल (ncov2019@gmail.com) कर सकते हैं।